

मु. नं 113/23 शंकरलाल - शर्मा

दिनांक	आज्ञा पत्र
2-4-24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रोष रेकॉर्डेट की तारीख हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समय जारी करने की दिशि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अध्यापक को सूचीबद्ध प्राप्त नहीं होने के कारण तुरन्त पर्याप्त नोटिस जारी किया। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक.../6.6.24 को पेश हो।</p>
16.4.24	<p>परामर्शों प्रस्तुत/वकील अपीलेंट/रैग्यो.उपस्थित जाहिर किया अधिकांश नोटिस जमा.../21.4.24 पर है। प्रतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.../1.8.6.24 को पेश हो।</p>
31-5-24	<p>अपीलांट वकील अपीलेंट ने उपस्थित होकर पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।</p>

शंकर लाल

सिद्धा न्त शर्मा

Identified by

[Signature]

229991102 मध्य 93